



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नेट गाजियाबाद

दिनांक 15.11.2024

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 04 गुमशुदा लड़कियाँ सकुशल बरामद ।

दिनांक 13.11.2024 को थाना लिंकरोड पर वादी श्री पीरू हुसैन पुत्र मौ0 फारूख निवासी ग्राम महाराजपुर थाना लिंकरोड गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि मेरी 03 पुत्री दिनांक 12.11.2024 को सुबह करीब 6.30 बजे सर्वोदय कन्या विद्यालय आनन्द विहार डी ब्लाक दिल्ली में पढने गयीं जोकि रास्ते से लापता हो गयी थी । जिनको परिजनों द्वारा काफी तलाश किया गया लेकिन लड़कियों के न मिलने के कारण तत्काल थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा वादी की 03 पुत्री के गुमशुदा होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया । उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 14.11.2024 को स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा लड़कियों की सकुशल बरामदगी हेतु सर्विलांस व मैन्युअल इनपुट तथा सीसीटीवी कैमरा आदि की सहायता से 04 गुमशुदा लड़कियों को सकुशल बरामद किया गया । जिसमें 03 वादी की पुत्री व 01 अन्य लड़की सकुशल बरामद की गयी, जो 01 अन्य गुमशुदा लड़की सकुशल बरामद हुई उसके सम्बन्ध में थाना कमला मार्केट दिल्ली में सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत है । अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

सकुशल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

स्वॉट टीम ट्रांस हिण्डन जोन व थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 14.11.2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुई । जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी समारोह में हर्ष फायरिंग की जा रही थी । जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जाँच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि उपरोक्त वीडियो में प्रदर्शित व्यक्ति दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह नागर निवासी गांव कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद है। तत्काल थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 15.11.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा हर्ष फायरिंग करने वाले अभियुक्त दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह उपरोक्त से पूछताछ करने के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त खोडा में फार्मसी का काम करता है। उक्त घटना काफी समय पहले की है। अभियुक्त ने बताया कि उक्त पिस्टल मेरे मित्र सागर डागर निवासी अग्गापुर सैक्टर 41 नोएडा की थी। जिसको थाना सैक्टर 126 से जेल भेजा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह नागर निवासी गांव कनावनी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक नागर पुत्र जयराज सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना एंटी पॉवर थैफ्ट गाजियाबाद में 01 अभियोग व गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर 58 व सेक्टर 126 में मारपीट करने से सम्बन्धित 03 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा फायरिंग की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.11.2024 को थाना मोदीनगर पर आवेदक श्री नितिश शर्मा पुत्र स्व श्री रामकिशोर शर्मा नि० - गाव सीकरी कलाँ मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि 14-15 मोटरसाईकिल पर सवार होकर आये लगभग 20 अज्ञात लडकों द्वारा आवेदक को दुकान पर चीनी तोलते समय जान से मारने की नियत से हाथ में लिये हुये पिस्टल से गोली मारी गई जिससे आवेदक के हाथ में कुछ छर्ने लग गये। गाँव वालों के आ जाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देते हुए आवेदक की दुकान के काउंटर के शीशे क्षतिग्रस्त करते हुए अपनी 02 मोटरसाईकिल को वही पर छोडकर भाग गये। जिस पर थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 15.11.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अज्ञात लडकों में से 03 अभियुक्त क्रमशः 1- नवीन पुत्र राजेन्द्र कुमार उपाध्याय निवासी दायमपुर म.न. - 58 दिल्ली मेरठ बाईपास थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष 2- निखिल पुत्र संजीव निवासी मौहल्ला माडल टाउन म.न. 10 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष 3- आदित्य उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर निवासी शिवलोक पुरी म.न. 486 अम्बेडकर रोड मॉडल टाउन के सामने कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 23 वर्ष को चैकिंग के दौरान मानकी बम्बा पटरी सीकरी गाँव के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया हमारा भागा हुआ साथी (वांछित) अमन ओबरॉय पुत्र राजकुमार निवासी 454 महावीर जी नगर बागपत रोड थाना टी.पी. नगर जनपद मेरठ दिनांक 12.11.2024 को मोदीनगर आया था, मोदीनगर में अमन ओबरॉय की किसी व्यक्ति से बाइक लगने को कहा सुनी हो गई थी इसी बीच नितिश शर्मा निवासी सीकरी कलाँ मोदीनगर जिसका प्रोविजन स्टोर है आया ओर बाइक लगने को लेकर हुई कहासुनी के कारण हमारे साथी अमन के साथ नितिश शर्मा ने हाथापाई कर दी गई थी। जिस पर हम तीनों अपने दोस्त अमन ओबरॉय के कहने पर, अमन ओबरॉय के अन्य दोस्तो सहित ककरखेडा मेरठ मे एकत्र हुये तथा सभी लोग अपनी अपनी मोटरसाईकिल से एक रॉय होकर अपने दोस्त अमन ओबरॉय के साथ हुई हाथापाई की घटना का बदला लेने के लिए मोदीनगर आये और उक्त घटना कारित कर दी।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

- 1- नवीन पुत्र राजेन्द्र कुमार उपाध्याय निवासी दायमपुर म.न. 58 दिल्ली मेरठ बाईपास थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष
- 2- निखिल पुत्र संजीव निवासी मौहल्ला माडल टाउन म.न. 10 थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 22 वर्ष
- 3- आदित्य उर्फ मोनू पुत्र रामेश्वर निवासी शिवलोक पुरी म.न. 486 अम्बेडकर रोड मॉडल टाउन के सामने कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त आदित्य उर्फ मोनू उपरोक्त पर जनपद मेरठ में 06 अभियोग (हत्या के प्रयास सहित) तथा अभियुक्त निखिल पर 01 अभियोग जनपद मेरठ में पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम